**भारत सरकार**

**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. **1332** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **09 फरवरी**, **2024/20** माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है

**पोतभंजन यार्डों के लिए मानदंड**

**†1332. डॉ. सुकान्त मजूमदार :**
**श्री. विनोद कुमार सोनकर :**
**श्री. भोला सिंह :**

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न पोतभंजन यार्डों में कितने कामगार नियोजित हैं और इन यार्डों में उत्पन्न कचरे की मात्रा और उसके प्रकार सहित पोत-भंजन यार्डों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन यार्डों में कामगारों को लापरवाही से अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कामगारों के कल्याण के अपशिष्ट निपटान पद्धतियों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या देश में पोतभंजन उद्योग के लिए विनियामक ढांचे की तत्काल आवश्यकता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री**

**(श्री सर्बानंद सोणोवाल)**

**(क):** यह अनुमान है कि अलंग, गुजरात में 6500-7000 कार्मिक कार्यरत हैं। वर्तमान में अलंग में 104 प्रचालनरत यार्ड है।

अझिक्कल, केरल में लगभग 15 कार्मिक कार्यरत हैं। केरल में, पोत भंजन स्टील इंडस्ट्रियल्स केरल लिमिटेड(एसआईएलके) द्वारा की जाती है।

कोलकाता, पश्चिम बंगाल में लगभग 130 कार्मिक कार्यरत हैं। कोलकाता में, पोत भंजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन में किया जाता है।

**<u>अपशिष्ट संग्रहण डेटा:</u>**

**<u>गुजरात</u>** : अलंग में, विगत 10 वर्षों में सृजित अपशिष्ट की औसत मात्रा 7850 एमटी प्रति वर्ष है।

**सृजित अपशिष्ट के प्रकार:**

1. संरक्षित लैंडफिल (सेरामिक, कूड़ा, कांच, जंग लगा लोहे का पैमाना, भस्मक राख) – 548.490 एमटी;
2. घनीकरण/ स्थिरीकरण (ग्लास वुल, कूलिंग पाउडर, अस्बेस्टोस, अस्बेस्टोस सहित सामग्री) – 49711.450 एमटी,
3. ज्वलनशील (बूच, थर्माकोल, आयल स्लज, पैंट चिप्स, पफ, रबर, दूषित मिट्टी, ओइली रग्स, पीवीएस और प्लास्टिक) – 7395.190 एमटी,
4. अपशिष्ट जल (गंदा जल, दूषित जल) – 20899.225 एमटी

**केरल**: स्टील इंडस्ट्रियल्स केरल लिमिटेड(एसआईएलके) में- विगत 10 वर्षों में सृजित अपशिष्ट की कुल मात्रा- 10एमटी, अर्थात् औसत लगभग 1 एमटी प्रतिवर्ष है।

**सृजित अपशिष्ट के प्रकार:**

50% पफ अपशिष्ट, 30 % लकड़ी का अपशिष्ट, 10% फाइबर अपशिष्ट, 10% खतरनाक अपशिष्ट

**कोलकाता:** श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन में, विगत 3 वर्षों में सृजित अपशिष्ट की कुल मात्रा- 9 एमटी, अर्थात् औसत लगभग 3 एमटी प्रतिवर्ष है ।

**सृजित अपशिष्ट के प्रकार:** 80% लौह, 15% लकड़ी और 5% अलौह है।

**(ख):** अपशिष्ट की हैंडलिंग और निस्तारण के कारण स्वास्थ्य जोखिम संबंधी कोई मामले दर्ज नही किए गए है।

**(ग):** लागू नहीं।

**(घ):** पोत भंजन संहिता 2013, हांग कांग कन्वेशन (एचकेसी), 2009 के आधार पर बनाया गया एक व्यापक विनियामक ढांचा है। यह संहिता पोत पुनर्चक्रण संबंधी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय पहलुओं पर ध्यान देता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को कम करने के निवारण और मॉनिटरिंग उपायों को पोत भंजन संहिता 2013 की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं अपेक्षाओं में स्पष्ट किया गया है।

*****